न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 14 / 2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्रीमती गंगा बाई पत्नि श्री देवलाल जाति तेली आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

..............प्रार्थीया

विरुद्ध

1. जेराबी पत्नि सराफत हुसैन जाति मुसलमान आयु बालिग पेशा काश्त निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. सिराजु हुसैन पुत्र श्री मुनीर हुसैन जाति मुसलमान आयु बालिग पेशा काश्त निवासी बडौदिया जिला चितौडगढ़।
3. जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री बलवीर सिंह।**

दिनांकः– 11.05.2022

–:आदेशः–

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा बडौदिया प०ह० बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 36 खंसरा सं 101 रकबा 1.34 है० लगानी 6.70 रूपये के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 101 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीया के बीच कृषि आराजीयात पर आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीया की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 04.05.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा बडौदिया प०ह० बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 36 खंसरा सं 101 रकबा 1.34 है० लगानी 6.70 रूपये के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगड़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीया से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ

वादी द